

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)/148/92/अलेसे-III/ 258

दिनांक:-13-5-2022

कार्यालय आदेश

श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट नं 148/92) कार्यालय कोषाधिकारी, कोटा को दिनांक 08.03.2018 से 31.05.2019 तक तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, सवाई माधोपुर के साथ-साथ कार्यालय सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद का अतिरिक्त कार्य संपादित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 08.03.2018 से 31.05.2019 तक का राजस्थान सेवा नियमों के नियम-35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 महीने) नियमानुसार एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)/148/92/अलेसे-III/ 258

दिनांक:- 13-5-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, कोटा।
2. पारिवारिक न्यायालय, सवाई माधोपुर।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार कोषालय, कोटा।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. पदस्थापन सीटा/रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)